न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः—21/2023 दायर दिनाँक 27.07.2023

आवेदकगण

1. श्रीकिशन पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी मण्डुकरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

अनावेदकगण

1. पुरणी देवी पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी मण्डुकरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
2. यूकों बैंक शाखा छोटी खाटू
3. तहसीलदार डीडवाना।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील प्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 13.08.2024

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक उपखण्ड डीडवाना में ग्राम बगरवालिया पटवार हल्का खरवालिया भू.अभि.नि. क्षैत्र तोषीणा में स्थित खेत खसरा नम्बर 204/14 रकबा 5.0200 हैक्टे0 के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 से 3 तामिलगी के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना—पत्र पर आधारित रही व उन्होने प्रार्थना—पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार छोटी खाटू से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा पत्रांक 115 दिनाँक 13.02.2024 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी। तहसीलदार छोटी खाटू की उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 3 में से नजरी नक्शा मार्क A to B पर प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 1360 वर्ग मीटर है। वर्तमान DLC दर से दुगुनी राशि =32576 रूपये देय राशि बनती है।

तहसीलदार छोटी खाटू अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 3 में से होकर दर्शित मार्क ए से बी की भूमि को रास्ता की [illegible] किया जो कि खसरा नम्बर 204/14 तक जाता है।

ग्राम बगरवालिया पटवार हल्का [illegible] तोषीणा में स्थित खेत खसरा नम्बर 204/14 रकबा 5.[illegible] हैक्टे0 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:55:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार छोटी खाटू की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए से बी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 204/14 के नजदीकी रास्ता लगता है। अप्रार्थी की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। उपरोक्तानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं0 204/14 रकबा 5.0200 हैक्टे0 में आवागमन का रास्ता नही है तथा उसे अपनी जोत में आने–जाने के लिए रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार छोटी खाटू की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 204/14 ग्राम बगरवालिया पटवार हल्का खरवालिया भू.अभि. नि. क्षेत्र तोषीणा में आवागमन हेतु तहसीलदार छोटी खाटू पत्र क्रमांक 115 दिनाँक 13.02.2024 के द्वारा प्रस्तुत, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी से दर्शित 1360 वर्ग मीटर भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार छोटी खाटू राजस्व रेकर्ड में 1360 वर्ग मीटर उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार छोटी खाटू की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन नियमानुसार वर्तमान डी0एल0सी0 दर से व नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भुगतान की कार्यवाही तहसीलदार छोटी खाटू सम्पादित करावें।

Vikas
(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन भाटी)
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:55:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner